मैनुअल चालान में बच निकलते हैं नेता-अफसर, ऑनलाइन सिस्टम में सब बराबर

एआइ कर रहा फैसला : कैमरे के सामने नहीं चल रही रसूखदारों की सिफारिश

राजधानी में नियम तोड़ने वालों की भरमार, रोजाना 2594 चालान

पत्रिका

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

लालबत्ती के बावजूद निकलते वाहन।

जयपुर. राजधानी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी लगातार चुनौती बनी हुई है। रोजाना औसतन 2594 वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं, इसके बावजूद सड़क पर बेलगाम वाहन चालक नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं।

ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शहर में एआइ आधारित ट्रैफिक कैमरों का व्यापक नेटवर्क तैयार किया जाए तो यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। पुलिसकर्मियों की माने तो सबसे बड़ा अंतर मैनुअल और ऑनलाइन चालान व्यवस्था में साफ दिखाई दे रहा है। मैनुअल कार्रवाई के दौरान कई बार नियम तोड़ने वाले वाहन चालक किसी नेता, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से फोन करवाकर कार्रवाई से बच निकलते हैं, जबकि ऑनलाइन कैमरा आधारित चालान प्रणाली में किसी प्रकार की सिफारिश या दबाव की गुंजाइश नहीं रहती। कैमरा नियम उल्लंघन रिकॉर्ड करता है और चालान कन्ट्रोल रूम के जरिए सीधे वाहन मालिक के नाम जारी हो जाता है।

ट्रैफिक के 191 कैमरे, 47 से हो रहे चालान

वर्तमान में जयपुर के ट्रैफिक सिग्नलों पर 191 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनमें 22 कैमरे खराब है, जबकि इनमें से 47 कैमरे ऑनलाइन चालान प्रणाली से जुड़े हैं, जो मुख्य रूप से रेड लाइट जंप करने और निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर नजर रखते हैं। इसके अलावा चार स्थानों पर विशेष कैमरे चोरी के वाहनों और बदमाशों की गतिविधियों पर निगरानी के लिए लगाए गए हैं। ऑनलाइन चालान वाले कैमरों में से 8 बंद हैं।

तस्दीक के बाद जारी होता चालान, 15 दिन का समय: ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इन कैमरों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 2594 ऑनलाइन चालान बनाए जा रहे हैं। उल्लंघन का पूरा रिकॉर्ड ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पहुंचता है और सत्यापन के बाद चालान सीधे संबंधित वाहन मालिक तक ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया जाता है। इससे कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी बनी रहती है। वहीं किसी वाहन मालिक को चालान को लेकर आपत्ती है तो वह ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम में शिकायत कर सकता है। चालान की अच्छी तरह तस्दीक की जाती है।

यह लाभ मिलेगा

ट्रैफिक विशेषज्ञों का कहना है कि सभी प्रमुख चौराहों और तिराहों पर एआइ आधारित कैमरे लगाए जाएं तो न केवल रेड लाइट जंप और ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण होगा।

जुर्माना राशि व्यवस्था सुधारने में लगे: इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक 5.50 लाख चालान ऑनलाइन किए गए। इनमें से 2.36 लाख वाहन चालकों से 12.50 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया। जुर्माना राशि से यातायात व्यवस्था सुधार सकते हैं।

ऑनलाइन चालान से कोई बच नहीं सकता है। कैमरों से चालान प्रभावी हुआ है। **-योगेश गोयल,** डीसीपी ट्रैफिक